न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 47 / 2022

अपीलांट– *__बनाम__*

1. जीवणाराम पुत्र सोनाराम
2. लालाराम पुत्र सोनाराम
3. ताजाराम पुत्र सोनाराम
4. भीमाराम पुत्र सोनाराम
5. लक्ष्मणराम पुत्र सोनाराम
6. गुलीदेवी पत्नी सोनाराम
7. आईदानराम पुत्र जेकाराम
8. नखताराम पुत्र जेकाराम
9. डूंगराराम पुत्र जेकाराम
10. हुक्माराम पुत्र मानाराम
11. फुसाराम पुत्र मानाराम
12. नेनाराम पुत्र मानाराम
13. अंतरी पत्नी मानाराम
14. पेमाराम पुत्र पोकरराम के कायम मुकाम

    14 / 1 हरलालराम पुत्र स्व. पेमाराम

    14 / 2 गिरधारीराम पुत्र स्व. पेमाराम

    14 / 3 द्वारकाराम पुत्र स्व. पेमाराम

    14 / 4 माडों देवी पत्नी स्व. पेमाराम
15. हंजारीराम पुत्र पोकरराम
16. भरतकुमार पुत्र अर्जनराम
17. चनणाराम पुत्र राणाराम
18. चूनाराम पुत्र राणाराम
19. मूलाराम पुत्र राणाराम
20. बन्नाराम पुत्र राणाराम
21. पूनमाराम पुत्र राणाराम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार बाटाडू
2. गंगाराम पुत्र स्व. बादराराम
3. लुणाराम पुत्र स्व. बादराराम
4. चणनी पत्नी स्व. बादराराम
5. कानाराम पुत्र स्व. धोकलाराम के कायम मुकाम

    5 / 1 रूपाराम पुत्र कानाराम

    5 / 2 बांकाराम पुत्र कानाराम

    5 / 3 चुतराराम पुत्र कानाराम

    5 / 4 शंकराराम पुत्र कानाराम

    5 / 5 भीमाराम पुत्र कानाराम

    5 / 6 हऊआ देवी पत्नी कानाराम

जाति कुमावत निवासी खेजडियाली झाक तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

22. वीरोंदेवी पत्नी राणाराम
23. पताराम पुत्र इसराराम के
    कायम मुकाम
    23 / 1 जुगताराम पुत्र स्व.
    पताराम
    23 / 2 टीकमाराम पुत्र स्व.
    पताराम
    23 / 3 हउवादेवी पत्नी
    स्व. पताराम
24. बालाराम पुत्र ईसराराम के
    कायम मुकाम
    24 / 1 चेनाराम पुत्र स्व.
    बालाराम
    24 / 2 प्रकाश पुत्र स्व.
    बालाराम
    24 / 3 छगनीदेवी पत्नी
    स्व. बालाराम
25. गेनाराम पुत्र ईसराराम
26. दीपाराम पुत्र ईसाराम
27. वीराराम पुत्र नींबाराम
28. चेतनराम पुत्र बांकाराम
29. चेनाराम पुत्र बांकाराम
30. जेहाराम पुत्र बांकाराम
31. चौखाराम पुत्र बांकाराम
32. नखताराम पुत्र गोरधनराम
33. सवाईराम पुत्र गोरधनराम
34. कासबाराम पुत्र गोरधनराम
35. हमीराराम पुत्र गोरधनराम
36. रेवंती पत्नी गोरधनराम

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जाति कुमावत निवासी
खेजडियाली झाक तहसील
बाटाडू जिला बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 1218 दिनांक 27.11.2021 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री दलपत सिंह सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रफोर्मा पक्षकार।
3. रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 08.10.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मौजा झाक तहसील बायतु के नामान्तरकरण सं. 1218 पर तहसीलदार बायतु द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा झाक तहसील बायतु के खसरा नम्बर 131 रकबा 40.0212 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि अवस्थित है। तहसीलदार बायतु द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 के तहत उक्त भूमि को विभाजित करने बाबत बंटवाडा करते हुए नामान्तरकरण दिनांक 27.11.2021 को स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि बंटवाडा कर अलग कर दी। यद्यपि अपीलाधीन खसरों की भूमि पर अपीलकर्तागण एवं उत्तरदातागण संख्या 02 से 05 का परिवार वक्त सेटलमेंट से आज दिनांक तक स्थायी रूप से काश्त एवं निवास करता आ रहा है तथा भूमि का बहमीतौर से बंटवाडा आज से करीब 40–50 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया था तथा उसी के अनुसार अपने–अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं, लेकिन उक्त विभाजन बहमीतौर से किए गए बंटवाडे से भिन्न होने से यह अपील पेश की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1218 दिनांक 27.11.2021 को प्रशासन गांवों

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

के संग अभियान 2021 केंप ग्राम पंचायत सिगोडिया पंचायत समिति बायतु में पक्षकारण द्वारा दी गई आपसी सहमति के आधार पर पारित किया गया है। लेकिन नामान्तरकरण के समय राजस्व रेकॉर्ड एवं नक्शे में की गई तरमीम पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति अनुसार नहीं की गई। विभाजन एवं तरमीम कब्जे एवं रहवास के प्रतिकुल कर दी गई है। अपीलाधीन मूल खसरा संख्या 131 मौजा झाक तहसील बायतु जिला बाडमेर की भूमि बाटाडू से बाडमेर जाने वाली डामर सड़क पर स्थित है। अपीलकर्तागण एवं उतरदातागण संख्या 2 से 5 तक के द्वारा आपसी सहमति से यह तय किया गया था कि डामर सड़क पर आने वाली भूमि में सभी हिस्सेदारों को अपने–अपने हक व हिस्से अनुसार(अनुपात) हिस्सा देकर बंटवाडा एवं तरमीम की जाएगी लेकिन उतरदाता संख्या 2 से 5 तक में स्थानीय हल्का पटवारी एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर सड़क पर स्थित बहुमूल्यवान भूमि का अधिकांश हिस्सा अपने हक में दर्शित करवाकर अलग तरमीम करवा दी, जिससे अपीलकर्तागण के हक व हकूकों पर कुठाराघात हुआ है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1218 दिनांक 27.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केंप ग्राम पंचायत सिगोडिया पंचायत समिति बायतु में पारित किया गया था तथा उसकी पालना के बाद अपीलकर्तागण द्वारा अपने अपीलाधीन उक्त खसरों की भूमि का सीमांकन करवाया गया जिसमें ज्ञात हुआ कि विभाजन एवं तरमीम मौका एवं कब्जा काश्त अनुसार नहीं की हुई है। तो अपीलकर्तागण ने हल्का पटवारी एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों से गलत तरमीम होने का करण पूछा तथा तरमीम मौका कब्जा काश्त अनुसार करके देने बाबत निवेदन किया, तब उन्होंने अपने स्तर पर संशोधन या सुधार करने से मना किया तथा विभाजन आदेश एवं नामान्तरकरण की अपील करने की सलाह दी, जिस पर नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी जो दिनांक 05.07.2022 को प्राप्त हुई तथा नकल प्राप्ति की तिथि से अपील अंदर म्याद पेश की गई। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विरासत नामान्तरकरण सं. 1218 दिनांक 27.11.2021 निरस्त फरमाया जावें तथा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के कब्जे–काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेखों मे आवश्यक इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

5. रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 27.11.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.07.2022 को प्रस्तुत की गई

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

है। आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1218 दिनांक 27.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केंप ग्राम पंचायत सिगोडिया पंचायत समिति बायतु में पक्षकारण द्वारा दी गई आपसी सहमति के आधार पर पारित किया गया है। जब तक उक्त बंटवाड़ा स्वीकृति आदेश यथावत है तो उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण चुनौती दिए जाने योग्य नहीं है। यदि अपीलार्थी यह मानता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन में रेकर्ड व नक्शे में सहवन से पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति अनुसार सही नहीं है तो उसका समाधान इस नामान्तरकरण अपील द्वारा नहीं किया जा सकता है तथा इसके लिए अपीलांट पृथक से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर